धारा II: निविदाकर्ताओं को सामान्य निर्देश (जीआईटी)

(पीएम/एसबीडी/ 001)

भाग I: सभी प्रकार की निविदाओं के लिए लागू सामान्य निर्देश

क. प्रस्तावना

1. परिचय

1.1 इन दस्तावेजों में जो परिभाषाएँ और संक्षिप्त शब्द प्रयोग किए गए है, उनका अर्थ जीसीसी में संकेत किए गए अर्थ के अनुसार होगा।

1.2 सुविधा के लिए, (सभी वर्गों सहित) यह सम्पूर्ण मानक बोली दस्तावेज माल निविदाओं की अधिप्राप्ति के संदर्भ में लिखा गया है। हालांकि यह एसबीडी सभी प्रकार की निविदाओं जैसे ईओआई, पीक्यूबी, दर अनुबंध, नमूने से जुड़ी निविदाएं, स्क्रैप सामग्री की बिक्री/निपटान और विकास/स्वदेशीकरण सेवा की अधिप्राप्ति आदि के लिए उपयोग किया जाएगा। इसलिए सभी खंडों के निर्माण में खंड के पत्र से परे विशेष प्रकार की निविदा के संदर्भ में व्याख्या की जानी चाहिए, जीआईटी/जीसीसी के द्वितीय भाग में विशिष्ट प्रकार की निविदाओं के लिए अतिरिक्त खंड के साथ पढ़ा जाए।

1.3 ये निविदा दस्तावेज खंड - VI में वर्णित आवश्यकताओं "आवश्यकताओं की सूची" के लिए जारी किए गए हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ आवश्यक सुपुर्दगी अनुसूची और सुपुर्दगी का स्थान और शर्तें (अर्थात गंतव्य) भी इंगित करती है।

1.4 यह खंड (धारा द्वितीय - "निविदाकर्ताओं को सामान्य निर्देश" - जीआईटी) भावी निविदाकर्ताओं की सहायता के लिए निविदाएं तैयार करने और प्रस्तुत करने में प्रासंगिक जानकारी के साथ निर्देश भी प्रदान करता है। इसमें निविदाओं की जांच और मूल्यांकन के साथ ही उनकी प्राप्ति, खोलने और बाद में अनुबंध को प्रदान करने के लिए अपनाए जाने वाले मोड और प्रक्रियाएँ भी शामिल है। इस सीमित उद्देश्य के साथ, जीआईटी, अपने आप में पूर्ण नहीं है और बाकी अन्य दस्तावेज़ - विशेष रूप से एसआईटी, जीसीसी और एससीसी भी निविदा दस्तावेज भरने से पहले अच्छी तरह से अध्ययन किए जा सकते है। जीआईटी/एसआईटी के साथ-साथ जीसीसी/एससीसी में शामिल कुछ विषय अलग अलग दृष्टिकोण के रूप में हो सकते हैं। इन दोनों के बीच कोई विवाद के मामले में, जीसीसी/एससीसी के प्रावधान मान्य होंगे।

1.5 निविदाकर्ता, इस खरीद से संबंधित निविदाकर्ताओं के लिए विशेष निर्देश (एसआईटी), के रूप में पढ़ सकते है जैसा कि इन दस्तावेजों की धारा III में निहित हैं और उसके तदनुसार ही पालन किया जाएगा। जब भी जीआईटी और एसआईटी के बीच कोई विवाद होता है है, तो एसआईटी में निहित प्रावधान जीआईटी में निहित प्रावधानों पर प्रबल होंगे।

2. निविदा की भाषा

निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा और निविदा के बाद निविदाकर्ता और भारिबैंनोमुप्रालि के बीच आदान-प्रदान किए गए सभी पत्राचार और निविदा से संबंधित दस्तावेज, अंग्रेजी या हिंदी भाषा में लिखे जाएंगे जब तक कि अन्यथा निविदा में ऐसा निर्दिष्ट नहीं है। हालांकि, निविदाकर्ता द्वारा उसकी निविदा के संबंध में

प्रस्तुत किया जाने वाला कोई भी मुद्रित साहित्य किसी भी अन्य भाषा में लिखा जा सकता है यदि यह हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रदान किया जाता है। निविदा के प्रयोजनों की व्याख्या के लिए अंग्रेजी अनुवाद मान्य होगा।

3. पात्र निविदाकर्ता

यह निमंत्रण सभी आपूर्तिकर्ताओं जो इन दस्तावेजों में निर्दिष्ट पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं उनके लिए खुला है। कृपया धारा IX : योग्यता/पात्रता मानदंड देखें।

4. पात्र वस्तुएँ एवं सेवाएँ

अनुबंध के तहत आपूर्ति की जाने वाली सभी वस्तुओं और संबंधित सेवाओं का मूल स्थान भारत या अन्य देश होंगे, जब तक कि धारा III (एसआईटी) में इस संबंध में कोई भी प्रतिबंध लगाया गया हो। इस खंड में प्रयुक्त शब्द "मूल" से तात्पर्य उस स्थान से है, जहां माल, खनन, विकसित, उत्पादित या निर्मित किया गया है या जहां से संबंधित सेवाओं की व्यवस्था की आपूर्ति की जाती है।

5. निविदा व्यय

निविदा के संबंध में निविदा की तैयारी, मेलिंग और इसके जमा करने और बाद में उसी के प्रसंस्करण सहित किए गए और/या किए जाने वाले सभी लागत और व्यय निविदाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। भारिबैंनोमुप्रालि, किसी भी ऐसी लागत, व्यय आदि के मामले में निविदा प्रक्रिया के परिणाम की परवाह किए बिना जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

ख. **निविदा दस्तावेज**

6. निविदा दस्तावेजों की सामग्री

6.1 निविदा दस्तावेजों में शामिल हैं:

धारा I	:	सूचना आमंत्रण निविदा (एनआईटी)
धारा II	:	निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश (GIT)
भाग I	:	सभी प्रकार की निविदाओं के लिए लागू सामान्य निर्देश
भाग II	:	विशिष्ट प्रकार की निविदाओं के लिए लागू अतिरिक्त सामान्य निर्देश:
धारा III	:	निविदाकर्ताओं को विशेष निर्देश (एसआईटी)
धारा IV	:	अनुबंध की सामान्य शर्तें (जीसीसी)
धारा V	:	अनुबंध की विशेष शर्तें (एससीसी)
धारा VI	:	आवश्यकताओं की सूची
धारा VII	:	तकनीकी विनिर्देश
धारा VIII	:	गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यकताएँ
धारा IX	:	योग्यता/पात्रता मानदंड
धारा X	:	निविदा फार्म
धारा XI	:	मूल्य अनुसूची
धारा XII	:	प्रश्नावली
धारा XIII	:	ईएमडी के लिए बैंक गारंटी फार्म

धारा XIV : निर्माता के प्राधिकरण फार्म

धारा XV : निष्पादन सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी फार्म

धारा XVI : अनुबंध प्रपत्र

धारा XVII : बोली खोलने में भाग लेने के लिए प्राधिकार पत्र

धारा XVIII : लाइनर कार्गो के लिए शिपिंग व्यवस्था

अ. सीएंडएफ सीआईएफ टर्नकी/F.O.R. के संबंध में आयात के लिए अनुबंध

ब. F.O.B./F.A.S के संबंध में आयात के लिए अनुबंध

धारा XIX : भुगतान के लिए बिल का प्रोफार्मा

धारा XX : पूर्व अनुबंध सत्यनिष्ठा समझौते का प्रोफार्मा

6.2 आवश्यक वस्तुएँ और सेवाएँ, नियम, शर्तें, निविदा के लिए प्रक्रिया, निविदा मूल्यांकन, अनुबंध की नियुक्ति, लागू अनुबंध के नियम और शर्तें आदि, इसके अलावा, इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले मानक प्रारूप से संबन्धित प्रासंगिक जानकारी ऊपर उल्लेखित दस्तावेजों में शामिल हैं। रुचि रखने वाले निविदाकर्ताओं को भारिबैंनोमुप्रालि के लिए निविदा तैयार करने और इसे प्रस्तुत करने से पहले, निविदा दस्तावेजों में निहित सभी नियमों, शर्तों, निर्देशो आदि को पढ़ना चाहिए और उनकी जांच करनी चाहिए। इन निविदा दस्तावेजों में शामिल सभी आवश्यक जानकारी या निर्देश आदि के अनुपालन करने में विफल होने पर परिणामस्वरूप निविदा अस्वीकृत हो सकती है।

7. निविदा दस्तावेजों में संशोधन

7.1 निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए तय समय सीमा से पहले किसी भी समय, भारिबैंनोमुप्रालि, के द्वारा फिट समझे जा सकने वाले किसी भी कारण से, उपयुक्त संशोधन जारी करके निविदा दस्तावेजों में आशोधन किया ला सकता है।

7.2 इस तरह के संशोधन पंजीकृत डाक द्वारा/स्पीड पोस्ट द्वारा या फैक्स/टेलेक्स/ई-मेल द्वारा लिखित रूप में सभी भावी निविदाकर्ताओं, जिन्हें निविदा दस्तावेज प्राप्त हुए है और जिन पर ये बाध्यकारी होंगे, अधिसूचित किए जाएंगे और बाद में उपयुक्त लेख्यांकित डाक द्वारा उसकी प्रतिलिपि उनको भेजी जाएगी।

7.3 भावी निविदाकर्ताओं को संशोधन के अनुसार उनकी निविदाएं तैयार करने में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु उचित समय प्रदान करने के लिए, भारिबैंनोमुप्रालि, अपने विवेक पर निविदाओं को प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा और समय सीमा के साथ जुड़े अन्य संबन्धित समयगत ढांचों के लिए समय सीमा में विस्तार कर सकती हैं।

8. बोली पूर्व सम्मेलन

यदि आवश्यक पाया जाता है तो एसआईटी में दो बोली निविदा में तकनीकी विशिष्टताओं/तकनीकी-वाणिज्यिक शर्तों के स्पष्टीकरण/संशोधन के लिए एक पूर्व बोली सम्मेलन नियत किया जा सकता है।

9. निविदा दस्तावेजों का स्पष्टीकरण

निविदाकर्ता को निविदा दस्तावेज के किसी भी मुद्दे पर कोई स्पष्टीकरण या व्याख्या की आवश्यकता होती है तो वह लिखित रूप में या फैक्स/ईमेल/टेलेक्स द्वारा भारिबैंनोमुप्रालि को इसे भेज सकता है। भारिबैंनोमुप्रालि इस तरह के अनुरोध का लिखित रूप में जवाब देगी बशर्ते कि यह निविदा जमा करने की निर्धारित तारीख से पहले इक्कीस दिनों के भीतर (जब तक अन्यथा एसआईटी में निर्दिष्ट) भारिबैंनोमुप्रालि को प्राप्त हो जाता है। पूछताछ और स्पष्टीकरण की प्रतियां सभी संभावित बोलीदाताओं जिन्हें बोली दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, भेजी जाएगी।

ग. निविदाओं की तैयारी

10. निविदा धारक दस्तावेज

10.1 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली निविदा आवश्यकतानुसार विधिवत रूप से भरे हुए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ होनी चाहिए:

क) विचलन की सूची के साथ-साथ निविदा प्रपत्र और मूल्य अनुसूची, इस एसबीडी की धाराओं में से (खण्ड 19.4 का संदर्भ लें), यदि कोई हो।

ख) दस्तावेजी सबूत, जैसा कि जीआईटी के खंड 3 और 16 के अनुसार आवश्यक है कि निविदाकर्ता निविदा प्रस्तुत करने के लिए पात्र है और अनुबंध निष्पादन करने के लिए, यदि उसकी निविदा स्वीकार कर ली जाती है सक्षम भी है।

ग) जीआईटी के खंड 17 के अनुसार दस्तावेज़ और प्रासंगिक जानकारी यह स्थापित करने के लिए कि निविदाकर्ता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुएँ और संबद्ध सेवाएँ, विचलन की सूची, यदि कोई है, के साथ निविदा दस्तावेजों की आवश्यकता के अनुरूप है (जीआईटी का खंड 17.3 का संदर्भ लें)।

घ) बयाना राशि के भुगतान से छूट का दावा करने के लिए वैकल्पिक रूप से, जीआईटी के खंड 18.18.1 के अनुसार प्रस्तुत बयाना दस्तावेज, जीआईटी के खंड 18.2 के अनुसार दस्तावेजी सबूत, तथा

ङ) धारा XII के अनुसार प्रश्नावली।

च) निर्माता का प्राधिकृत फार्म (धारा XIV का संदर्भ लें, यदि लागू हो)

ध्यान दें : निविदाकर्ता अपनी निविदाओं में तकनीकी साहित्य और अन्य दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं यदि उनके द्वारा ये आवश्यक माने जाते हैं।

10.2 एक निविदा, जो उपरोक्त आवश्यकताओं में से किसी को पूरा नहीं करती है और/या गोलमाल जानकारी देती है/किसी भी ऐसी आवश्यकता के खिलाफ उत्तर देती है, तो वह ध्यान नहीं दिए जाने और अस्वीकृत कर दिए जाने हेतु उत्तरदायी होगी।

10.3 फैक्स/ईमेल/टेलेक्स/केबल द्वारा भेजी गई निविदाओं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

11. निविदा मुद्राएँ

11.1 जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, निविदाकर्ता भारतीय मुद्रा (रुपए) में ही उद्धृत करेगा।

11.2 जहाँ निविदा की स्थिति विभिन्न मुद्राओं में उद्धृरण की स्वीकृति निर्दिष्ट करती है, तो, घरेलू सामान के लिए कीमतें केवल भारतीय रुपए में और आयातित माल के लिए कीमतें या तो भारतीय रुपए में या अन्य बातों के उल्लेख के साथ, विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपए में परिवर्तित करने के लिए विनिमय दर के साथ एसआईटी में निर्धारित की गई मुद्रा में उद्धृत की जाएगी। संबद्ध सेवाओं के लिए मूल्य (ओं) के संबंध में, यदि किसी भी सामान के साथ आवश्यक है, तो यह भारतीय रुपए में उद्धृत किया जाएगा यदि ऐसी सेवाओं का निष्पादन/आरंभ भारत में किया जाता हैं। भारतीय एजेंट के लिए कमीशन, यदि कोई हो और यदि देय हो, तो इसें मूल्य अनुसूची में प्रदत जगह में संकेत किया जाएगा और केवल भारतीय रुपए में उद्धृत किया जाएगा

11.3 निविदाएं, जहां कीमतें किसी अन्य तरीके से उद्धृत की गई हैं अनुत्तरदायी के रूप में मानी जाएगी और अस्वीकृत कर दी जाएगी।

12. निविदा मूल्य

12.1 निविदाकर्ता को आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्तावित माल और सेवाओं की आपूर्ति के लिए यूनिट कीमतों और निविदा की कुल कीमतों सहित दिखाई गई कीमतों के सभी घटकों को निर्दिष्ट धारा XI के तहत प्रदान की गई मूल्य अनुसूची पर संकेत करना होगा। मूल्य अनुसूची में दिखाए गए सभी कॉलम आवश्यकतानुसार भरे जाने चाहिए। यदि कोई भी स्तंभ एक निविदाकर्ता पर लागू नहीं होता है, तो उसे निविदाकर्ता द्वारा तदनुसार स्पष्ट किया जाना चाहिए।

12.2 यदि आवश्यकताओं की सूची में एक से अधिक अनुसूचियाॅ है, तो निविदाकर्ता के पास किसी भी एक या एक से अधिक अनुसूचियों के लिए अपने उद्धरण प्रस्तुत करने हेतु विकल्प मौजूद है और संयुक्त अनुसूची के लिए विशेष छूट की पेशकश भी कर सकता है। हालांकि, एक अनुसूची के लिए उद्धृरण करते समय, निविदाकर्ता को माल और सेवाओं की संपूर्ण आवश्यकताओं के लिए अनुसूची विशेष में निर्दिष्ट किए गए अनुसार उद्धृत करना होगा।

12.3 भारत में से ही माल की पेशकश के लिए और विदेशों से पेशकश की गई वस्तुओं के लिए उद्धृत मूल्य, धारा XI के तहत संलग्न लागू मूल्य अनुसूचियों में अलग-अलग संकेत किया जाना चाहिए।

12.4 मूल्य अनुसूची के कॉलम को भरते समय, निम्नलिखित पहलुओं के अनुपालन पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

12.5 भारत में से ही पेश की गई वस्तुओं का मूल्य संबंधित मूल्य अनुसूचियों में निम्नलिखित तरीके से अलग से दर्ज किया जाएगा:

क) माल की एक्स कारखाने, एक्स-शोरूम, एक्स गोदाम या बंद शेल्फ, जैसा कि लागू हो, आदि पर और पहले से ही भुगतान किए गए या घटकों पर देय या एक्स कारखाने पर उद्धृत माल के निर्माण या जोड़ने में प्रयुक्त कच्ची सामग्री पर या एक्स शोरूम पर विदेशी मूल के पहले से आयातित माल पर देय सभी करों और बिक्री कर, वैट, सीमा शुल्क, सेवा कर आदि सहित उद्धृत कीमत।

ख) कोई भी बिक्री या अन्य कर और उत्पाद शुल्क सहित अन्य शुल्क, जो कि भारत में माल पर देय होंगे यदि अनुबंध प्रदान किया जाता है।

ग) अंतर्देशीय परिवहन, बीमा और माल की अंतिम गंतव्य पर सुपुर्दगी के लिए प्रासंगिक अन्य स्थानीय लागत के रूप में आवश्यकताओं की सूची में निर्दिष्टानुसार प्रभार तथा

घ) आकस्मिक सेवाओं की कीमत, जैसा कि और यदि आवश्यकताओं की सूची में उल्लेख किया गया है।

12.6 विदेशों से पेश की गई वस्तुओं का मूल्य संबंधित मूल्य अनुसूचियों में निम्नलिखित तरीके से अलग से दर्ज किया जाएगा:

क) एफएएस/एफओबी पोर्ट पर लदान, भारत में सीआईएफ पोर्ट पर प्रवेश या भारत में निर्दिष्ट सीआईएफ गंतव्य के स्थान पर माल की उद्धृत कीमत, जैसा कि आवश्यकताओं की सूची में संकेत दिया गया है,

ख) आयात किए जाने वाले माल पर सीमा शुल्क और आयात शुल्क की राशि, जहां लागू हो।

ग) अंतर्देशीय परिवहन, बीमा और माल के भारत में प्रवेश पोर्ट से अंतिम गंतव्य पर सुपुर्दगी के लिए प्रासंगिक अन्य स्थानीय लागत के रूप में आवश्यकताओं की सूची में निर्दिष्टानुसार प्रभार तथा

घ) आकस्मिक सेवाओं की कीमत, जैसा कि और यदि आवश्यकताओं की सूची में उल्लेख किया गया है।

12.7 शुल्कों और करों पर अतिरिक्त जानकारी और निर्देश:

यदि निविदाकर्ता उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क आदि जिनका अतिरिक्त रूप से भुगतान किया जाना है, के लिए पूछता है तो इन्हें विशेष रूप से वर्णित किया जाना चाहिए। ऐसी किसी भी शर्त के अभाव में कीमत इन शुल्कों और करों के समावेश के साथ ली जाएगी और इसके लिए बाद में किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

12.8 उत्पाद शुल्क:

क) यदि उदहृत कीमतों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति अभिप्रेत है, तो आपूर्तिकर्ता को विशेष रूप से ऐसी दर, मात्रा, लागू ड्यूटी की प्रकृति का संकेत भी करना होगा। ऐसी किसी भी शर्त के अभाव में यह

माना जाएगा कि उद्धृत कीमतें अटल और अंतिम हैं और निविदाएं खोलने के बाद उत्पाद शुल्क के रूप में किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

ख) यदि एक निविदाकर्ता उत्पाद शुल्क के समावेश के साथ कीमत उद्धृत करने के लिए चुनता है और यह भी कि आपूर्ति के समय के दौरान उत्पाद शुल्क में बदलाव, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति के लिए चाहता है, तो निविदाकर्ता को इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए और कीमत में शामिल उत्पाद शुल्क की दर और मात्रा का भी संकेत करना चाहिए। ऐसे सभी विवरणों को स्पष्ट शर्तो/शब्दों में संकेत करने में विफल होने पर निविदाकर्ता को वैधानिक बदलावों के लिए मना किया जा सकता है।

ग) उपर दिए गए उप खंड 12.8 (क) और (ख) के अधीन, मूल सुपुर्दगी अवधि के दौरान उत्पाद शुल्क में किसी भी वैधानिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पाद शुल्क में ऊपर/नीचे की ओर कोई बदलाव, आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान की गई उत्पाद शुल्क की वास्तविक मात्रा की सीमा तक स्वीकार किया जाएगा। उत्पाद शुल्क में नीचे की तरफ संशोधन के मामले में, उत्पाद शुल्क में कमी की वास्तविक मात्रा आपूर्तिकर्ता द्वारा भारिबैंनोमुप्रालि को प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे सभी समायोजनों में, सभी राहतें, छूट, रिबेट, रियायत आदि यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा कोई भी प्राप्त की गई हो, शामिल होंगी।

12.9 बिक्री कर/वैट/सीएसटी/जीएसटी:

एक निविदाकर्ता बिक्री कर/वैट/सीएसटी/जीएसटी जिनका अतिरिक्त भुगतान किया जाना है, के लिए पूछता है, तो लागू दर और ऐसे करों की प्रकृति को अलग से दिखाया जाना चाहिए। इस तरह के करों का उस दर पर भुगतान किया जाएगा जिस पर इसका आकलन किया जा सकता है या इसका वास्तव में मूल्यांकन किया गया है बशर्ते कि बिक्री का लेन-देन कानूनी रूप से इस तरह के करों के लिए जिम्मेदार है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार देय है।

12.10 जहां भी वैल्यू एडेड टैक्स लागू होता है, निम्नलिखित का उल्लेख किया जा सकता है:

i) निविदाकर्ता को वैट का सटीक प्रतिशत उद्धृत करना चाहिए जो कि वे अतिरिक्त रूप में वसूल करेंगे।

ii) दरों का उद्धृरण करते समय निविदाकर्ता को (कीमतों में कमी के तरीके से) सेट ऑफ/इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि सेल्स टैक्स की मौजूदा प्रणाली से वैट की प्रणाली पर स्विच करने पर उन्हें उपलब्ध हो जाएगा, विधिवत रूप से उद्धृत आइटम की प्रति यूनिट क्रेडिट की मात्रा, पर पारित करना चाहिए।

iii) निविदाओं के लिए उद्धृरण करते समय निविदाकर्ता को निम्नलिखित घोषणा देनी चाहिए:

"हम इस तरह के अतिरिक्त बंद सेट/इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि कीमत में कमी और क्रेता को तदनुसार सलाह देने के माध्यम से वैट योजना के तहत आपूर्ति की तारीख पर अंतिम उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के संबंध में भविष्य में उपलब्ध हो सकता है, को पारित करने के लिए सहमत है।"

iv) भुगतान का दावा करते समय आपूर्तिकर्ता भुगतान अधिकारियों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा: हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि अतिरिक्त बंद सेट/इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर (राशि) रुपये .... अर्जित किए है और तदनुसार ये ही क्रेता को पारित किए जा रहे है और तदर्थक देय राशि में समायोजित किए जा सकते है।

12.11 चुंगी और स्थानीय कर:

जब तक अन्यथा एसआईटी में वर्णित नहीं है, भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा रखे गए अनुबंध के तहत आपूर्ति किया जाने वाला माल शहरी कर, चुंगी, सीमा शुल्क और स्थानीय निकायों के अन्य शुल्कों से मुक्त नहीं होगा। ऐसे मामलों में, आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति में देरी से बचने के लिए भुगतान करना चाहिए और प्राप्ति रसीद को क्रय विभाग को प्रतिपूर्ति के लिए और भी आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित करना चाहिए।

ऐसे मामलों में जहां छूट उपलब्ध है, इस तरह के शुल्कों और करों के भुगतान से बचने के लिए आपूर्तिकर्ताओं को क्रय विभाग से छूट प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए।

12.12 कच्चे माल पर कर/शुल्क

अनुबंध के लंबित रहने के दौरान अनुबंधित माल के निर्माण में सीधे रूप से इस्तेमाल की जाने वाली कच्ची सामग्री और/या घटकों पर ताजा लगाए जाने और/या वृद्धि के कारण उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर आदि पर (वैधानिक वृद्धि सहित) आपूर्तिकर्ता के किसी भी दावे के लिए भारिबैंनोमुप्रालि उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि ऐसे दायित्वों पर अनुबंध की शर्तों में विशेष रूप से सहमति व्यक्त की गई हो।

12.13 आयातित स्टोर उपर्युक्त करों और शुल्कों के लिए जवाबदेही नहीं होंगे:

ऊपर उल्लेख किए गए आयातित माल पर उगाही लगाई जाने वाले नहीं हैं और इसलिए प्रतिपूर्ति नहीं किए जाएंगे।

12.14 सीमा शुल्क:

विदेश से आयातित सामान की पेशकश के संबंध में, निविदाकर्ता दर के साथ-साथ देय सीमा शुल्क की कुल राशि अच्छी तरह से निर्दिष्ट करेगा। निविदाकर्ता पूछे गए माल के लिए इसके लिए लागू भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ संख्या भी संकेत करेगा।

12.14.1। विदेश से आयातित माल की पेशकश की ढुलाई के लिए, जीसीसी खण्ड 11 के तहत शामिल प्रासंगिक निर्देशों का पालन किया जाएगा।

12.14.2। आपूर्ति किए जाने वाले माल के बीमा के लिए, जीसीसी के खंड 12 के तहत प्रदान किए गए प्रासंगिक निर्देशों का पालन किया जाएगा।

12.14.3. जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से इस निविदा दस्तावेज में संकेत नहीं दिया गया है, विदेश से आयातित माल की पेशकश के लिए एफओबी, एफएएस, सीआईएफ आदि शर्तें, इनकोटर्मस के पेरिस स्थित

इंटरनेशनल वाणिज्यक चैंबर द्वारा प्रकाशित, वर्तमान संस्करण में निर्धारित, नियमों और विनियमों द्वारा नियंत्रित की जाएगी।

12.14.4. निविदाकर्ताओं द्वारा सभी तरह के मूल्य घटकों के संकेत के रूप में आवश्यकता, जैसे कि इस खंड (अर्थात।, GIT के खंड 12) में जरूरत है, भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा निविदाओं की तुलना के उद्देश्य के लिए है और किसी भी प्रकार से पेशकश की गई शर्तों में से चयनित निविदाकर्ता को अनुबंध प्रदान करने के लिए भारिबैंनोमुप्रालि के अधिकारों को सीमित नहीं करेगी।

13. भारतीय एजेंट

यदि एक विदेशी निविदाकर्ता अपनी निविदा के संबंध में भारत में एक एजेंट को एंगेज करता है तो विदेशी निविदाकर्ता, भारतीय एजेंट के कमीशन का संकेत देने के साथ-साथ, यदि कोई हो, ऊपर जीआईटी उप खंड 11.2 में वर्णनानुसार, इसके अलावा निम्नलिखित जानकारी भी प्रस्तुत करेगा:

क) भारतीय एजेंट का पूरा नाम और पता और भारतीय आयकर प्राधिकरण द्वारा आवंटित उसका स्थायी आयकर खाता संख्या।

ख) विषयागत आवश्यकता के लिए एजेंट द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का विवरण।

एक निर्माता केवल एक एजेंट/डीलर को अधिकृत कर सकता हैं। इसके अलावा एक एजेंट एक विशेष निविदा जांच में उनकी ओर से एक से अधिक आपूर्तिकर्ता या बोली का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। इस तरह की बोली को खारिज कर जाने की संभावना है। इसमें से केवल एक ही बोली हो सकती है

क) एक प्रमुख निर्माता सीधे या उनकी ओर से एक भारतीय एजेंट

ख) विदेशी प्रिंसिपल या उसकी कोई भी शाखा/विभाजन

ग) एक प्रधान की ओर से केवल भारतीय/विदेशी एजेंट ।

14. स्थिर मूल्य/परिवर्तनीय मूल्य

14.1 जब तक अन्यथा एसआईटी में निर्दिष्ट नहीं हैं, निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत कीमतें अनुबंध की अवधि के दौरान स्थिर और निश्चित रहेगी और किसी भी प्रकार की परिवर्तन के अधीन नहीं रहेगी।

14.2 यदि निविदा दस्तावेज परिवर्तनीय मूल्य के आधार पर प्रदान करना आवश्यक होता है, तो निविदाकर्ताओं द्वारा उद्धृत कीमत, एसआईटी में निर्दिष्ट किए गए परिवर्तनीयता सूत्र के अनुसार श्रम और सामग्री घटकों की लागत में परिवर्तन की देखभाल करने के लिए मूल वितरण अवधि के दौरान समायोजन के अधीन हो जाएगी। यदि एक निविदाकर्ता परिवर्तनीय मूल्य उद्धरण की आवश्यकता के स्थान पर स्थिर मूल्य उद्धरण प्रस्तुत करता हैं, तो निविदाकर्ता द्वारा मांगे जाने पर कीमत विभिन्नता शून्य के रूप में लेते हुए यह निविदा प्रथम दृष्टया स्वीकार्य होगी और आगे के लिए विचारणीय मानी जाएगी।

14.3 हालांकि, कर और शुल्क, यदि कोई हो, माल पर प्रभार्य और देय है, तो जीआईटी के खंड 12 में निर्धारित की गई शर्तें स्थिर कीमत निविदा और परिवर्तनीय कीमत निविदा दोनों के लिए लागू होगी।

14.4 ऊपर खण्ड 11 के प्रावधानों के तहत जहां कीमतें आयात को शामिल करते हुए विदेशी मुद्राओं में उद्धृत की जाती हैं, - विदेशी विनिमय दर रूपांतर (ERV) मूल सुपुर्दगी अवधि के दौरान क्रेता द्वारा वहन की जाएगी। निविदाकर्ता का प्रस्ताव आयातित वस्तु और आयातित वस्तु की गणना के लिए इस्तेमाल की गई मुद्रा का संकेत देना चाहिए।

14.5 अनुबंध के एफई सामग्री की गणना के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक प्रमुख मुद्रा की आधार विनिमय दर का संकेत दिया जाना चाहिए। ईआरवी की आधार तिथि अनुबंध की तिथि होगी और आधार तिथि पर पविर्तन मध्यबिंदु निर्माता को दिया जा सकता है जब तक कि फर्म द्वारा पहले से ही समय अनुसूची का संकेत दिया गया है जिसके भीतर फर्म द्वारा सामग्री आयात की जाएगी।

14.6 यदि सुपुर्दगी अवधि फिर से निर्धारित की/बढ़ाई गई है, ईआरवी, स्वीकार्य नहीं होगी यदि यह आपूर्तिकर्ता की गलती के कारण है।

14.7 ईआरवी दावा करने के लिए दस्तावेज:

प्रथम: कार्य शीट संलग्न के साथ ईआरवी दावे का एक बिल

द्वितीय: एफ.ई भुगतान और विनिमय दर के ब्यौरे के साथ बैंकर का प्रमाण पत्र/डेबिट सलाह

तृतीय: आपूर्तिकर्ता पर रखी गई आयात आदेश की प्रतियां

चतुर्थ: प्रासंगिक आयात आदेश के लिए आपूर्तिकर्ता का चालान

15. वैकल्पिक निविदाएं

जब तक अन्यथा आवश्यकताओं की अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है, वैकल्पिक निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

16. निविदाकर्ता की पात्रता और योग्यता की स्थापना हेतु दस्तावेज

16.1 जीआईटी के खंड 10 के अनुसरण में, निविदाकर्ता को अपनी निविदा के हिस्से के रूप में, अनुबंध के निष्पादन हेतु योग्यता और उद्धरण के लिए पात्रता स्थापित करते हुए प्रासंगिक जानकारी और दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा, यदि उसकी निविदा स्वीकार कर ली जाती है।

16.2 निविदाकर्ता की योग्यता स्थापित करने हेतु दस्तावेजी सबूतों में निम्न आवश्यकताओं को पूरा करने की जरूरत है :

क) यदि निविदाकर्ता ऐसे माल की आपूर्ति करने के लिए पेशकश करता है, जो किसी अन्य फर्म द्वारा निर्मित किया गया हैं, तो निविदाकर्ता, सामान निर्माता द्वारा विधिवत रूप से बोली और भारिबैंनोमुप्रालि को सामान की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत किया हुआ होना चाहिए। निविदाकर्ता को इस प्रभाव हेतु इस दस्तावेज़ की धारा XIV के तहत प्रदत मानक फार्म के अनुसार निर्माता का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ख) निविदाकर्ता के पास अनुबंध के निष्पादन हेतु आवश्यक वित्तीय, तकनीकी और उत्पादन के लिए आवश्यक क्षमता है और, इसके अलावा, इन दस्तावेजों की धारा IX में शामिल योग्यता मानदंडों को पूरा करता है।

ग) यदि निविदाकर्ता भारत में कारोबार नहीं कर रहा है, तो आवश्यक संविदात्मक कार्यों को पूरा करने और बिक्री के बाद सेवा, रखरखाव और मरम्मत सहित आपूर्तिकर्ता के कर्तव्यों को निभाने के लिए, पूछे गए माल, स्पेयर पार्ट्स की स्टॉकिंग और तेजी से चलते घटकों और अन्य दायित्वों आदि, यदि कोई हो, अनुबंध की शर्तों में और/या तकनीकी विशिष्टताओं में निर्दिष्टानुसार, अच्छी तरह से सुसज्जित भारत में तैनात एक विधिवत सक्षम एजेंट द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा।

घ) यदि निविदाकर्ता एक भारतीय एजेंट है और एक विदेशी निर्माता की ओर से उद्धृत करता है, भारतीय एजेंट पहले से ही वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अनिवार्य सूचीबद्ध योजना के तहत आयोजिक है तथा भारत के आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी), नई दिल्ली के माध्यम से संचालित है।

17. निविदा दस्तावेज के अनुरूप सामान की पुष्टि स्थापित करने वाले दस्तावेज़

17.1 निविदाकर्ता निविदा में तकनीकी डेटा, साहित्य, चित्र आदि की तरह आवश्यक एवं प्रासंगिक दस्तावेज अपनी निविदा में प्रदान करेगा, यह स्थापित करने के लिए कि निविदा में पेशकश की गई वस्तुएँ और सेवाएँ पूरी तरह से भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा निविदा दस्तावेजों में विशिष्ठ रूप से निर्दिष्ट वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता के अनुरूप है। इस प्रयोजन के लिए निविदाकर्ता अपनी निविदा में पेशकश की गई वस्तुओं और सेवाओं की तकनीकी जवाबदेही स्थापित करने के लिए भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा निविदा दस्तावेजों में शामिल तकनीकी विशिष्टताओं और अन्य तकनीकी जानकारियों पर खंड-से-खंड एक कमेंटरी भी प्रदान करेगा।

17.2 यदि भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा निर्धारित किसी भी माल और सेवाओं तथा निविदाकर्ता द्वारा पेश की गई सेवाओं के बीच कोई बदलाव और/या विचलन है तो, निविदाकर्ता औचित्य के साथ अस्पष्टता के बिना एक चार्ट के रूप में सूचीबद्ध करेगा, और अपनी निविदा के साथ-साथ इसे भी प्रदान करेगा।

17.3 यदि एक निविदाकर्ता अपने द्वारा पेश की गई वस्तुओं और सेवाओं की तकनीकी स्वीकार्यता के बारे में गलत और/या गुमराहपूर्ण डेटा, बयान (ओं) आदि प्रस्तुत करता हैं, तो इस संबंध में भारिबैंनोमुप्रालि के पास उपलब्ध दूसरे उपायों के अलावा उसकी निविदा नजरअंदाज कर दिए जाने और अस्वीकार कर दिए जाने के लिए उत्तरदायी होगी।

18. बयाना जमा राशि (ईएमडी)

18.1 जीआईटी के खंड 10.1 (घ) के अनुसरण में, निविदाकर्ता अपनी निविदा के साथ आवश्यकताओं की सूची में दिखाई गई बयाना राशि प्रस्तुत करेगा। बयाना के रूप में राशि भारिबैंनोमुप्रालि की रक्षा के लिए निविदाकर्ताओं के अनुचित आचरण के जोखिम के खिलाफ आवश्यक है, जैसा कि नीचे उपखंड 23.23.2 के तहत परिलक्षित किया गया है।

18.2 निविदाकर्ताओं जो वर्तमान में डीजीएसएंडडी के साथ या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नई दिल्ली के साथ पंजीकृत हैं और, इसके अलावा, निविदा की वैधता अवधि के दौरान पंजीकृत बने रहेंगे, उनको बयाना के

भुगतान से छूट दी गई है। यदि निविदाकर्ता इन श्रेणियों में आता है उसे अपने वैध पंजीकरण के विवरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए (डीजीएसएंडडी या एनएसआईसी के साथ जैसा भी मामला हो)।

18.3 बयाना भारतीय रुपए में नामित किया जाएगा।

18.4 बयाना निम्न रूपों में से किसी एक में प्रस्तुत किया जाएगा:
क) खाता में देय डिमांड ड्राफ्ट या

ख) सावधि जमा रसीद या

ग) बैंकर चेक या

घ) बैंक गारंटी, केवल वैश्विक निविदा के मामले में

डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद या बैंकर्स चैक एनआईटी के खंड 3 में निर्दिष्ट खाते के पक्ष में भारत में किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पर तैयार किया जाएगा। बैंक गारंटी के मामले में, इसे इन दस्तावेजों की धारा XIII के तहत निर्दिष्ट अनुसार भारत में किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा की पुष्टि/से प्रदान किया जाएगा।

18.5 बयाना निविदा की वैधता अवधि से परे पैंतालीस दिनों की अवधि के लिए वैध होगा।

18.6 असफल निविदाकर्ताओं की 'बयाना राशि, निविदा की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद, लेकिन परिणामी अनुबंध के समापन के बाद में तीस दिनों के भीतर बिना किसी भी ब्याज के उन्हें लौटा दी जाएगी। सफल निविदाकर्ताओं की बयाना राशि उस निविदाकर्ता से निष्पादन सुरक्षा की प्राप्ति के बाद, बिना किसी भी ब्याज के लौटा दी जाएगी।

18.7 एक निविदाकर्ता की बयाना राशि, जब्त की जाएगी यदि निविदाकर्ता अपनी निविदा की वैधता की अवधि के भीतर किसी भी संबंध में निविदा तोड़ता है, निविदा वापस ले लेता है या अपनी निविदा को हानि पहुँचाता है या निविदा में संशोधन करता है। सफल निविदाकर्ता का बयाना जब्त किया जाएगा, यदि वह निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक निष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

19. निविदा वैधता

19.1 एसआईटी में अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया है, तो निविदा दस्तावेजों में निविदा खोलने की तारीख निर्धारित होने के बाद निविदाएँ एकल बोली निविदा प्रणाली के मामले में 90 दिन (नब्बे दिन) और दो बोली प्रणाली के मामले में 120 दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति हेतु वैध बनी रहेगी। कम अवधि के लिए वैध होने पर कोई भी निविदा अनुत्तरदायी के रूप में मानी जाएगी और अस्वीकार कर दी जाएगी ।

19.2 असाधारण मामलों में, भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा निविदाकर्ताओं से एक निर्धारित अवधि तक उनकी निविदाओं की वैधता का विस्तार करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। इस तरह के अनुरोध (ओं) और प्रतिक्रियाओं को सतही मेल या फैक्स/ईमेल/टेलेक्स/तार द्वारा तथा बाद में सतही मेल के द्वारा अवगत

कराया जाएगा। निविदाकर्ता, जो निविदा वैधता का विस्तार करने के लिए सहमत होते हैं उन्हें उनकी मूल निविदा में किसी भी परिवर्तन या संशोधन के बिना ही विस्तार करना होगा और उन्हें ईएमडी की वैधता अवधि भी तदनुसार विस्तार करनी होगा।
19.3 निविदाओं के वैध रहने तक का दिन यदि भारिबैंनोमुप्रालि के लिए छुट्टी का दिन होता है/बाद में एक घोषित छुट्टी का दिन पड़ जाता है, तो निविदा की वैधता स्वचालित रूप से अगले कार्य दिवस तक विस्तारित हो जाएगी।

19.4 इस निविदा दस्तावेज की धाराओं का अनुपालन: निविदाकर्ताओं को इस निविदा दस्तावेज के सभी खंडों का पालन करना चाहिए। यदि किसी भी मामले में कोई विचलन होता है, तो इसके औचित्य के साथ-साथ बिना किसी भी संदिग्धता के एक चार्ट के रूप में सूचीकृत किया जाना चाहिए।

20. निविदा पर हस्ताक्षर और मुहर

20.1 दस्तावेज की एक प्रमाणीकृत प्रतिलिपि जो हस्ताक्षरकर्ता को फर्म की ओर से प्रतिबद्ध करने के लिए अधिकृत करती है, पेशकश के साथ दी जानी चाहिए। निविदा या उससे संबंधित अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम और पदनाम स्पष्ट रूप से संकेत देना चाहिए और यह भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि क्या वह हस्ताक्षर कर रहा है,

(क) संस्था के एक मात्र मालिक के रूप में या एकमात्र मालिक के वकील के रूप में;
(ख) फर्म का पार्टनर (रों) के रूप में;
(ग) एक लिमिटेड कंपनी के मामले में विधिवत रूप से निदेशक मंडल द्वारा पारित एक संकल्प द्वाराअधिकृत या एसोसिएशन के ज्ञापन द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, निदेशक, प्रबंधक या सचिव के रूप में।

20.2 निविदाकर्ता का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता निविदा में उचित स्थानों पर हस्ताक्षर और निविदा के शेष पृष्ठों पर आद्यक्षर करना चाहिए।

20.3 निविदाकर्ताओं जीआईटी के खण्डों में निहित निर्देशों के अनुसार अपनी निविदाएं प्रस्तुत करेगा

20.4 जब तक अन्यथा एसआईटी में उल्लेख नहीं किया गया है, एक निविदाकर्ता "मूल" और "नकल" के रूप में अंकित अपनी निविदा की दो प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

20.5 निविदा की मूल और अन्य प्रतियां अमिट स्याही में लिखी या टाइप की जाएगी और उसी निविदाकर्ता या एक व्यक्ति (यों) द्वारा जो विधिवत रूप से निविदाकर्ता को अनुबंध के साथ बाध्य रहने हेतु अधिकृत किया गया है, द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी। प्राधिकरण पत्र भी लिखित वकालतनामा के रूप में होना चाहिए जो निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

20.6 निविदा की सभी प्रतियां विधिवत रूप से उपयुक्त स्थानों पर हस्ताक्षरित की जाएगी, जैसा कि निविदा दस्तावेजों में संकेत किया गया है और मुद्रित साहित्य, यदि कोई है, सहित निविदा के अन्य सभी पृष्ठों पर उसी व्यक्ति (यों) द्वारा आधक्षर किए जाएंगे, जिसके द्वारा निविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। निविदा में कोई भी विलोपन या ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए, निविदाकर्ता द्वारा कि गई किसी भी त्रुटि को दूर करने के लिए आवश्यक को छोड़कर, और यदि इस तरह का कोई सुधार किया गया है; तो यह उसी व्यक्ति (यों) द्वारा आधक्षर किया जाएगा, जिसने निविदा पर हस्ताक्षर किए हैं।

20.7 निविदाकर्ता निविदा की मूल और प्रत्येक प्रतिलिपि को, विधिवत रूप से "मूल", "नकल" आदि ऐसे ही चिन्हित करेगा तथा अलग-अलग लिफाफों में बंद करेगा, और लिफाफों पर भारिबैंनोमुप्रालि का पता और निविदा संदर्भ संख्या लिखेगा। इन लिफाफों पर ------ के पहले 'नहीं खोला जाए" (निविदाकर्ता द्वारा निविदा खोलने की तारीख और समय अंकित किया जाना है) वाक्य लिखा जाएगा। तब भीतरी लिफाफों को एक बड़े बाहरी लिफाफे में डाल दिया जाए, ये भी विधिवत रूप से सीलबंद, चिह्नित आदि किए जाएंगे, जैसा कि ऊपर किया गया है। यदि बाहरी लिफाफा ठीक से सीलबंद और चिह्नित नहीं किया गया है जैसा कि ऊपर किया गया है, भारिबैंनोमुप्रालि इसके गुम होने, समय से पहले खोलने, देर से खोलने आदि के लिए कोई भी जिम्मेदारी ग्रहण नहीं करेंगा।

20.8 पूंजीगत उपकरण, उच्च मूल्य संयंत्र, जटिल और तकनीकी प्रकृति की मशीनरी आदि की खरीद के लिए, निविदा दस्तावेज दो भागों (दो बोली प्रणाली) में उद्धरण किया जाएगा, पहला भाग उपकरण/मशीनरी आदि से संबंधित तकनीकी जानकारी युक्त होगा, और दूसरे भाग में - संबधित अन्य मुद्दों के साथ-साथ क्रय मूल्य का उद्धरण किया जाएगा। पहला भाग 'तकनीकी बोली' के रूप में और दूसरा भाग 'वित्तीय बोली' के नाम से जाना जाएगा। निविदाकर्ता को 'तकनीकी बोली' और 'वित्तीय बोली' को अलग से सील करना होगा और आवरण कवर पर उपरिलिखित लिखना होगा। इन दोनों मुहरबंद लिफाफों को एक बड़े कवर में डाल दिया जाएगा तथा सीलबंद कर दिया जाएगा और नीचे दिए गए खंड 25, 24.4 के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। आगे की जानकारी एसआईटी में दी जाएगी, यदि आवश्यक समझी जाती है।

20.9 यदि एसआईटी में अनुमति दी जाती है, तो निविदाकर्ता ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं।

घ. निविदाओं की प्रस्तुति

21. निविदाओं की प्रस्तुति

21.1 जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं हैं, निविदाकर्ताओं को निविदाएं जमा करने के लिए एनआईटी के पैरा 1 में संकेतानुसार किसी एक जगह पर इस उद्देश्य के लिए रखे गए टेंडर बॉक्स में जमा करनी होती है। भारी निविदाएँ, जो टेंडर बॉक्स में नहीं रखी जा सकती है, के मामले में, एनआईटी के पैरा 1 में संकेतानुसार निविदाकर्ता द्वारा हाथ से भारिबैंनोमुप्रालि के नामित अधिकारियों को प्रस्तुत की जाएगी। निविदा प्राप्त करने

वाला अधिकारी विधिवत रूप से तारीख और समय के साथ हस्ताक्षर करके निविदाकर्ता को एक प्राप्ति रसीद देगा।

21.2 निविदाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपनी निविदाओं को निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए समापन समय और निर्दिष्ट समय और तारीख के बाद जमा नहीं करें। यदि निविदाएं जमा करने वाली तिथि के दिन भारिबैंनोमुप्रालि के लिए छुट्टी का दिन होता है/बाद में एक घोषित छुट्टी का दिन पड़ जाता है, तो निविदाएँ अगले कार्य दिवस के दिन नियत समय तक प्राप्त की जाएगी।

22. विलंबित निविदा

एक निविदा, जो निविदाओं की प्राप्ति के लिए निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त होती है "विलंबित" निविदा के रूप में मानी जाएगी और नजरअंदाज कर दी जाएगी।

23. परिवर्तन और निविदा की निकासी

23.1 निविदाकर्ता को, निविदा प्रस्तुत करने के बाद अपनी निविदा को संशोधित/परिवर्तन करने की अनुमति दी जाती है, जब तक कि इस तरह के परिवर्तन/संशोधन विधिवत रूप से मूल निविदा की तरह हस्ताक्षरित, मुहर लगाए हुए और चिन्हित किए गए हैं और निविदाएं प्रस्तुत करने की समय सीमा के भीतर प्राप्त किए जाते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त निविदाओं के लिए संशोधन/परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।

23.2 कोई भी निविदा, निविदा जमा करने की समय सीमा के बाद और निविदा की वैधता अवधि की समाप्ति से पहले वापस नहीं लिया जाना चाहिए। यदि एक निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा वापस ले लेता है, तो इसका भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा लगाए गए अन्य प्रतिबंधों के अलावा निविदाकर्ता द्वारा अपनी निविदा में प्रस्तुत बयाना राशि की जब्ती के रूप में परिणाम होगा।

ड़ निविदाएँ खोलना

24. निविदाओं को खोलना

24.1 भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा एनआईटी के खंड 1 में दिए गए संकेतानुसार निर्धारित तिथि और समय पर तथा निर्दिष्ट स्थान पर निविदाएं खोली जाएगी। यदि निविदाएं खोलने वाली तिथि के दिन भारिबैंनोमुप्रालि के लिए छुट्टी का दिन होता है/बाद में एक घोषित छुट्टी का दिन पड़ जाता है, तो निविदाएँ अगले कार्य दिवस के दिन नियत समय और जगह पर खोली जाएगी।

24.2 निविदाकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधि, जिन्होंने समय पर निविदाएं प्रस्तुत की है, निविदा खोलने में शामिल हो सकते हैं बशर्ते कि वे एसबीडी के XVII में दिए गए प्रारूप के अनुसार संबंधित निविदाकर्ताओं से इसके लिए प्राधिकरण पत्र अपने साथ लेकर आएँ। निविदा खोलने वाले अधिकारी (यों) निविदा खोलने में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की एक सूची तैयार करेंगे। सूची में प्रतिनिधियों के नाम और हस्ताक्षर और इनसे संबंधित निविदाकर्ताओं के नाम और पते शामिल होंगे।

24.3 निविदा खोलने के दौरान, निविदा खोलने वाले अधिकारी (यों) निविदा की मुख्य विशेषताएं जैसे पेश की गई वस्तुओं का विवरण, मूल्य, विशेष छूट यदि कोई हो, सुपुर्दगी अवधि, क्या बयाना राशि प्रस्तुत की जानी है या नहीं और निविदा की कोई भी अन्य विशिष्ट विशेषता आदि, जो कि निविदा खोलने वाले अधिकारी (यों) द्वारा उचित समझी जाती है, आदि पढ़ेंगे।

24.4 दो बोली प्रणाली के मामले में ऊपर खंड 20.8 में किए गए उल्लेखानुसार, तकनीकी बोलियों को निर्धारित समय और तारीख पर पहले दृष्टांत में खोला जाएगा। इन बोलियों की निविदा दस्तावेज में निर्धारित मापदंडों के संदर्भ के आधार पर सक्षम समिति/प्राधिकारी द्वारा जांच और मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में, केवल तकनीकी रूप से स्वीकार्य प्रस्तावों की वित्तीय बोलियॉ (जैसा कि पहले चरण में निर्णय लिया गया हो) आगे जांच और मूल्यांकन के लिए खोली जाएगी। अन्य वित्तीय बोलियों को पंजीकृत डाक/ विश्वसनीय कूरियर या किसी भी अन्य मोड के तहत सुपुर्दगी के सबूत के साथ संबंधित बोलीदाताओं को बिना खोले ही वापस भेज दी जाएगी।

च. निविदाओं की जांच और मूल्यांकन

25 बुनियादी सिद्धांत

निविदा दस्तावेज में पहले से ही शामिल शर्तों और नियमों के आधार पर निविदाओं का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके आधार पर निविदाएं प्राप्त की गई है और निविदाकर्ताओं द्वारा अपनी निविदाओं में शर्तों आदि का उल्लेख किया गया है। निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करते समय कोई नई शर्त शामिल नहीं की जाएगी।

26. निविदाओं की प्रारंभिक जांच

26.1 पहले यह निर्धारित करने के लिए निविदाओं की जांच की जाएगी कि क्या वे पूर्ण हैं और आवश्यक एवं महत्वपूर्ण आवश्यकताओं, शर्तों आदि को पूरा करती है जैसा कि निविदा दस्तावेज में निर्धारित किया गया है, ऐसी निविदाएॅ जो बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं, अनुत्तरदायी के रूप में समझी जाने के लिए उत्तरदायी होगी और वे उपेक्षित की जाएगी।

26.2 ये निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिनके आधार पर एक निविदा अनुत्तरदायी घोषित की जा सकती है और उपेक्षित मानी जाएगी;

क) निविदा अहस्ताक्षरित है।

ख) निविदाकर्ता पात्र नहीं है।

ग) निविदा वैधता आवश्यक अवधि की तुलना में कम है।

घ) आवश्यक ईएमडी प्रदान नहीं की गई है।

ड़) निविदाकर्ता ने एक अलग फर्म द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए निर्माता से आवश्यक प्राधिकार पत्र लिए बिना उद्धृत किया है।

च) निविदाकर्ता अपेक्षित निष्पादन सुरक्षा देने के लिए सहमत नहीं हुआ है।

छ) पेश किया गया सामान घटिया, आदि है और आवश्यक विनिर्देशों को पूरा नहीं कर रहे हैं।
ज) निविदाकर्ता विशेष रूप से निविदा जांच में शामिल, आवश्यक शर्त (ओं) के लिए सहमत नहीं हुआ है।
झ) आवश्यकताओं की सूची में (निविदा जांच में शामिल) एक अनुसूची के अनुसार, निविदाकर्ता ने अनुसूची में निर्दिष्ट संपूर्ण आवश्यकताओं के लिए उद्धृत नहीं किया है। (उदाहरण: एक अनुसूची में, यह निर्धारित किया गया कि निविदाकर्ता, उपकरणों की आपूर्ति करेगा, इसे स्थापित करेगा और कमीशन करेगा और यह भी कि उपकरणों के संचालन के लिए भारिबैंनोमुप्रालि के ऑपरेटरों को प्रशिक्षित करेगा। हालांकि, निविदाकर्ता द्वारा केवल उपकरणों की आपूर्ति के लिए उद्धृत किया गया है)।

27. मामूली दुर्बलता/अनियमितता/गैर अनुरूपता

यदि प्रारंभिक परीक्षा के दौरान भारिबैंनोमुप्रालि को एक निविदा में किसी भी मामूली दुर्बलता और/या अनियमितता और/या गैर अनुरूपता का पता चलता है, तो भारिबैंनोमुप्रालि इसे माफ कर सकती हैं बशर्ते कि यह किसी भी सामग्री विचलन और वित्तीय प्रभाव का गठन नहीं करती है और यह भी कि कोई पूर्वाग्रह नहीं करती है, या निविदाकर्ताओं के रैंकिंग आदेश को प्रभावित नहीं करती है। जहां कहीं भी आवश्यक हो, भारिबैंनोमुप्रालि ऐसे 'मामूली' मुद्दों पर अपने अवलोकन निविदाकर्ता को पंजीकृत/स्पीड पोस्ट आदि के द्वारा व्यक्त करेंगी और निविदाकर्ता को एक निर्धारित तिथि तक जवाब देने के लिए पूछेगी। यदि निविदाकर्ता निर्धारित तिथि के अनुसार जवाब नहीं देता है या स्पष्ट शब्दों में इस मुद्दे पर बात बिना स्पष्ट किए हुए गोलमाल जवाब देता है, तो अपनी निविदा को नजरअंदाज किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

28. कीमतों में विसंगति

28.1 यदि निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत मूल्य संरचना में, जहाँ इकाई मूल्य और कुल मूल्य (जो मात्रा के साथ यूनिट मूल्य गुणा करके प्राप्त की जाती है) के बीच विसंगति पाई जाती है, तो इकाई मूल्य मान्य होगा और कुल मूल्य तदनुसार उचित किया जाएगा, जब तक भारिबैंनोमुप्रालि यह मानता है कि निविदाकर्ता ने इकाई मूल्य में दशमलव बिंदु लगाने में गलती की है, उस मामले में उद्धृत कुल मूल्य इकाई मूल्य पर प्रबल करेगा और इकाई मूल्य तदनुसार सही किया जाएगा।

28.2 यदि कुल मूल्य में कोई त्रुटि है, जो समग्र कुल के घटाव और/या योग के माध्यम से प्राप्त किया गया है तो समग्र कुल मान्य होगा और कुल तदनुसार सही किया जाएगा; तथा

28.3 यदि किसी व्यक्त राशि के शब्दों और अंकों के बीच में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उपरोक्त खंड 28.1 और 28.2 के अधीन शब्दों में व्यक्त राशि मान्य होगी।

28.4 यदि भारिबैंनोमुप्रालि के फैसले के अनुसार, एक निविदा में किसी भी तरह की अंकगणितीय विसंगति पाई जाती है, तो उसे उपयुक्त पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा निविदाकर्ता को अवगत करा दिया जाएगा। यदि

निविदाकर्ता भारिबैंनोमुप्रालि के अवलोकन से सहमत नहीं है, तो निविदा नजरअंदाज किए जाने के लिए उत्तरदायी होगी।

29. मूल और निविदा की प्रतियों के बीच विसंगति

यदि मूल प्रति के पाठ आदि और उसी निविदा सेट के अन्य प्रतियों में कोई विसंगति पाई जाती है, तो मूल प्रति का पाठ प्रबल करेगा। यहाँ पर भी, भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा इसका अवलोकन उपयुक्त रूप से पंजीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा निविदाकर्ता को भेजा जाएगा और यदि निविदाकर्ता भारिबैंनोमुप्रालि का अवलोकन स्वीकार नहीं करता है, तो निविदा नजरअंदाज किए जाने के लिए उत्तरदायी होगी।

30. बोली स्पष्टीकरण

बोलियों की तुलना और मूल्यांकन के दौरान, क्रेता, अपने विवेक पर बोली लगाने या अपनी बोली के लिए स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण इस तरह के अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर बोलीदाता से प्राप्त किए जाने चाहिए। स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध लिखित रूप में होगा और बोली की कीमतों या समान में कोई परिवर्तन की कोई मांग, पेशकश या अनुमति नहीं दी जाएगी। बोलीदाता की पहल पर किसी भी पश्च बोली स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

31. योग्यता/पात्रता मानदंड

निविदाकर्ताओं की निविदाएं, जो धारा IX में निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवश्यक योग्यता/पात्रता को पूरा नहीं करती है, अनुत्तरदायी रूप में मानी जाएगी और उन पर आगे विचार नहीं किया जाएगा।

32. निविदा मुद्राओं का भारतीय रुपये में रूपांतरण

यदि निविदा दस्तावेज निविदाकर्ताओं को उनकी बोली की कीमतों को विभिन्न मुद्राओं में उद्धरण करने की अनुमति देता है, तो उत्तरदायी निविदाकर्ताओं की ऐसी सभी उद्धरत कीमतों को उसी मुद्रा में परिवर्तित किया जाएगा, अर्थात न्यायसंगत तुलना और मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए भारतीय रुपए बी.सी. के अनुसार निविदा खोलने की तिथि के दिन, इसी तरह के लेनदेन के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्थापित बिक्री विनिमय दर।

33. अनुसूची वार मूल्यांकन

यदि आवश्यकताओं की सूची में एक से अधिक अनुसूचियाँ शामिल है, उत्तरदायी निविदाओं का मूल्यांकन किया जाएगा और प्रत्येक अनुसूची के लिए अलग से तुलना की जाएगी। एक अनुसूची के लिए निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा यदि उस निविदा में अनुसूची में निर्धारित सम्पूर्ण आवश्यकताएँ शामिल नहीं हैं। हालांकि, जैसा कि पहले से ही जीआईटी के उप खंड 12.2 में उल्लेख किया गया है, निविदाकर्ताओं के पास विकल्प है कि वे किसी भी एक या एक से अधिक अनुसूचियों के लिए बोली लगा सकते हैं और संयुक्त अनुसूची के लिए छूट की पेशकश कर सकते हैं। इस तरह की छूट, जहां लागू हो, प्रत्येक अनुसूची के लिए सफल निविदाकर्ता तय करने में, भारिबैंनोमुप्रालि के लिए सबसे कम लागत का मूल्यांकन पेशकश करने

वाली निविदा या निविदाओं के संयोजन का निर्धारण करने के लिए ध्यान में रखा जाना होगा, बशर्ते कि निविदाकर्ता (ओं) उत्तरदायी है।

34. सीआईएफ गंतव्य आधार पर तुलना

जब तक धारा III में अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया है - निविदाकर्ताओं के लिए विशेष निर्देश और धारा VI - आवश्यकताओं की सूची, उत्तरदायी निविदाओं की तुलना सीआईएफ गंतव्य के आधार पर की जाएगी, विधिवत रूप से सुपुर्द की गई, कमीशन की गई, आदि के रूप में, जैसा भी मामला हो।

35. उत्तरदायी निविदाओं के मूल्यांकन और रैंकिंग के लिए अतिरिक्त कारक तथा पैरामीटर

35.1 ऊपर दिए गए जीआईटी के खण्ड 33 के आगे, भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा एक निविदा के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित बातें शामिल की जाएगी और इनको ध्यान में रखा जाएगा:

क) भारत में विनिर्मित या विदेशी मूल की पहले से ही भारत में स्थित वस्तुओं के मामले में, बिक्री कर और इस तरह के अन्य करों तथा उत्पाद शुल्क और इस तरह के अन्य शुल्क, जो अनुबंधात्मक रूप से (निविदाकर्ता को) माल पर देय होंगे यदि अनुबंध निविदाकर्ता को प्रदान किया गया है; तथा

ख) विदेशी मूल की विदेश से पेशकश की गई वस्तुओं के मामले में, सीमा शुल्क और इस तरह के अन्य आयात शुल्क/कर, जो अनुबंधात्मक रूप से (निविदाकर्ता को) माल पर देय होंगे यदि अनुबंध निविदाकर्ता को प्रदान किया गया है; तथा

35.2 भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा निविदा के मूल्यांकन हेतु अतिरिक्त कारकों को भी ध्यान में लाया जाएगा, यदि कोई हो, उस ढंग से और उसमें संकेतित हद तक एसआईटी में शामिल किया गया है।

35.3 समय-समय पर सरकार की नीतियों के अनुसार, क्रेता बड़े उद्योगों की तुलना में लघु उद्योगों को मूल्य वरीयता देने के लिए अपने विकल्प सुरक्षित रखता है। यह मूल्य वरीयता हालांकि गारंटी के रूप में नहीं ली जा सकती है और लागत नीचे लाने और प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने के लिए इस तरह की कंपनियों द्वारा हर संभव प्रयास किए जाने की जरूरत है।

35.4 यदि निविदाएँ परिवर्तनीय मूल्य के आधार पर आमंत्रित की गई है तो निविदा खोलने के दिन की तारीख के प्रचलित रूप में, निविदाओं का मूल्यांकन किया जाएगा, तुलना की जाएगी और रैंक दी जाएगी और किसी भी भविष्य की अन्य स्थिति के आधार पर नहीं दी जाएगी।

36. अनुबंध प्रदर्शन करने के लिए निविदाकर्ता की क्षमता

36.1 भारिबैंनोमुप्रालि, निविदा जांच और निविदा मूल्यांकन हेतु ऊपर दी गई प्रक्रिया के माध्यम से अपनी संतुष्टि के लिए तय करेंगे कि क्या निविदाकर्ता जिसकी निविदा सबसे कम मूल्यांकन उत्तरदायी निविदा के रूप में निर्धारित की गई है, पात्र, योग्य और अनुबंध के सभी मामलों में संतोषजनक ढंग से प्रदर्शन करने

के लिए सक्षम है। यदि आवश्यकताओं की सूची में एक से अधिक अनुसूचियाँ है, तो, इस तरह के दृढ़ निर्णय प्रत्येक अनुसूची के लिए अलग से लिया जाएगा।

36.2 ऊपर उल्लेख किए गए दृढ़ निर्णय, अन्य बातों के साथ-साथ, निविदा दस्तावेज में शामिल शर्तों के अनुसार भारिबैंनोमुप्रालि की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए निविदाकर्ता की वित्तीय, तकनीकी और उत्पादन क्षमताओं को ध्यान में लेंगे। ऐसे दृढ़ निर्णय निविदाकर्ता द्वारा अपनी निविदा में प्रस्तुत सभी प्रासंगिक डेटा और विवरण की जांच और परीक्षा के साथ ही साथ भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा इससे संबंधित उचित समझी जाने वाली अन्य जानकारियों पर आधारित होगें।

37. कार्टेल गठन/पूल दरें

'प्रतियोगिता पर प्रशंसनीय प्रतिकूल प्रभाव "(AAEC), की तरफ अग्रणी करने वाले कार्टेल गठन या पूल के उद्धरण/समन्वित दरें, जैसी कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 यथासंशोधित प्रतियोगिता (संशोधन) अधिनियम, 2007 में पहचान की गई है, एक गंभीर अपराध के रूप में मानी जाएगी और नीचे दिए गए खण्ड 44 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

38. बातचीत

समान्यतया मूल्य हेतु कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन भारिबैंनोमुप्रालि, न्यूनतम स्वीकार्य बोलीदाता (एल 1), जो थोक मात्रा की आपूर्ति के लिए तकनीकी रूप से स्पष्ट/अनुमोदित है और जिस पर अनुबंध रखा जा सकता था, लेकिन सीवीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार विशेष परिस्थितियों के तहत बातचीत करने के निर्णय के लिए मंजूरी दी है, के साथ बातचीत करने के लिए अपने अधिकार सुरक्षित रखता है, अर्थात आम तौर पर वहाँ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। बातचीत द्वारा ठेकेदारों का चयन नियम के बजाय एक दुर्लभ अपवाद होना चाहिए और असाधारण परिस्थितियों में से केवल निम्न परिस्थितियों में इनका सहारा लिया जा सकता है: -

प्रथम - जहाँ अधिप्राप्ति मालिकाना आधार पर की जाती है

द्वितीय - आइटम जिनकी अधिप्राप्ति की जानी है केवल सीमित स्रोतों से आपूर्ति किए जाते हैं

तृतीय. - आइटम जहां कार्टेल गठन का संदेह है।

39. संपर्क भारिबैंनोमुप्रालि

39.1 निविदा जमा करने के समय से ठेका प्रदान करने के समय तक, एक निविदाकर्ता को अपनी निविदा जांच और/या उसकी निविदा से संबंधित किसी भी कारण के लिए भारिबैंनोमुप्रालि से संपर्क करने की जरूरत होती है, तो उसे ऐसा केवल लिखित रूप में करना चाहिए।

39.2 यह एक गंभीर अपराध माना जाएगा यदि एक निविदाकर्ता जांच, तुलना, मूल्यांकन और ठेके पर भारिबैंनोमुप्रालि के निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करता है। ऐसे मामले में निविदाकर्ता की निविदा अस्वीकृत करने के अलावा निविदाकर्ता अपने खिलाफ उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा जीआईटी के खंड 44 के संदर्भ में उचित समझा जाता है।

छ. अनुबंध को प्रदान करना

40. भारिबैंनोमुप्रालि के पास किसी भी निविदा को स्वीकार करने और किसी एक या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार है। भारिबैंनोमुप्रालि किसी भी निविदा को पूर्ण रूप में या भागों में स्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को अस्वीकार करने या निविदा प्रक्रिया को रद्द करके अनुबंध प्रदान करने के पहले किसी भी समय, बिना किसी भी दायित्व से ग्रस्त हुए, जो भी हो प्रभावित निविदाकर्ता या निविदाकर्ताओं की सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

41. प्रदान करने के मापदंड

ऊपरोक्त जीआईटी खंड 36 के अधीन, अनुबंध जीआईटी के खण्ड 34 के अनुसार भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा निर्णय लिए गए न्यूनतम मूल्यांकन उत्तरदायी निविदाकर्ता को प्रदान किया जाएगा।

42. प्रदान करने के समय पर मात्रा में परिवर्तन

अनुबंध प्रदान करते समय मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

43. समानांतर अनुबंध

भारिबैंनोमुप्रालि (एक ही निविदा के लिए) एक से अधिक बोलीदाताओं के साथ समानांतर अनुबंध अंतिम रूप से तय करने के लिए, अपने अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि ऐसा निविदा पेशगी के समय पहले से भांप लिया जाता है, तो एसआईटी में आगे के विवरण देने हेतु एक खंड शामिल किया जाएगा।

44. गंभीर अपराध

44.1 निम्नलिखित गंभीर दुराचार/अपराध माने जाएंगे :

i. बोलीदाता द्वारा अपनी बोली में भ्रामक/गलत/कपटपूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करना
ii. निविदा या अनुबंध की शर्तों के तहत निर्धारित छलपूर्ण/गैर भुनाने योग्य वित्तीय साधन प्रस्तुत करना।
iii. जीसीसी के खंड 32 में दी गई आचार संहिताओं का उल्लंघन।
iv. कार्टेल गठन या उद्धरण पूल/समन्वित दरें जो "प्रतियोगिता पर प्रशंसनीय प्रतिकूल प्रभाव" (AAEC) के रूप में अग्रणी करती है जैसा कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पहचाना गया है।
v. जानबूझकर हल्का माल या कम मात्रा में पास करने के प्रयास करना।
vi. दर अनुबंध पकड़े फर्मों द्वारा पतन खण्ड का उल्लंघन करना।
vii. संवीक्षा, तुलना, मूल्यांकन और निविदा के पुरस्कार पर भारिबैंनोमुप्रालि के निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करना।

44.2 उपयुक्त प्रशासनिक कार्यवाही जैसे पंजीकृत फर्मों की पेशकश अस्वीकृत करने या उन्हें असूचीयन करने के अलावा, भारिबैंनोमुप्रालि ऐसे दुराचार करने वाले निविदाकर्ताओं को अनिश्चितकाल के लिए या एक

कथित अवधि के लिए भारिबैंनोमुप्रालि के अनुबंध प्रदान करने के लिए अयोग्य घोषित करने सहित उन पर प्रतिबंध लगाएगी/उन्हें काली सूची में डालेगी।

45. प्रदान करने की अधिसूचना

45.1 निविदा वैधता अवधि की समाप्ति से पहले, भारिबैंनोमुप्रालि सफल निविदाकर्ता (ओं) को लेखन, पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा या फैक्स/ईमेल/टेलेक्स/तार द्वारा सूचित करेगी (पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा पुष्टि की जानी है) कि माल और सेवाओं के लिए उसकी निविदा, जो भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा चयनित की गई है, स्वीकार कर ली गई है, उसमें संक्षेप में आवश्यक जानकारी का संकेत देते हुए जैसे विवरण, विनिर्देश और माल और सेवाओं की मात्रा तथा तदनुरूप कीमतें भी स्वीकार कर ली गई है। सफल निविदाकर्ता को इस अधिसूचना की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर भारिबैंनोमुप्रालि को आवश्यक निष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत करना होगा। निष्पादन सुरक्षा के बारे में प्रासंगिक जानकारी के धारा IV के तहत जीसीसी के खण्ड 6 में प्रदान की गई है।

45.2 प्रदान करने की अधिसूचना अनुबंध के समापन का गठन करेगा।

46. अनुबंध जारी करना

46.1 निष्पादन सुरक्षा प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर, भारिबैंनोमुप्रालि सफल निविदाकर्ता को विधिवत रूप से पूरा किया हुआ और दो प्रतियों में हस्ताक्षरित अनुबंध प्रपत्र (धारा XVI के अनुसार) पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा भेज देगी।

46.2 अनुबंध के जारी होने की तारीख से सात दिनों के भीतर, सफल निविदाकर्ता विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और दिनांकित अनुबंध की मूल प्रति पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा भारिबैंनोमुप्रालि को वापस भेज देगा।

47. भारिबैंनोमुप्रालि को निष्पादन सुरक्षा और अनुबंध प्राप्त न होना

सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध प्रदान करने की अधिसूचना प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर निष्पादन सुरक्षा प्रदान करने में और/या जीआईटी के उपरोक्त 45 और 46 खंड के अनुसार विधिवत रूप से हस्ताक्षर की हुई अनुबंध की प्रति वापिस भेजने में विफलता, निविदाकर्ता को अपनी ईएमडी की जब्ती और, इसके अलावा, इसके खिलाफ भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा और अधिक प्रतिबंध लगाने के लिए उत्तरदायी बनाएगी।

48. ईएमडी की वापसी

सफल निविदाकर्ता और असफल निविदाकर्ताओं की बयाना राशि, जीआईटी के खण्ड 18.6 की शर्तों के अनुसार, जो भी, जैसे भी हो, बिना किसी ब्याज के उन्हें लौटा दी जाएगी।

49. निविदा के परिणामों का प्रकाशन

अनुबंध (ओं) को प्राप्त करने वाले सफल निविदाकर्ता (ओं) के नाम और पते भारिबैंनोमुप्रालि के नोटिस बोर्ड/बुलेटिन/वेब साइट में उल्लेख किए जाएंगे।

भाग II : विशिष्ट प्रकार की निविदाओं के लिए लागू अतिरिक्त सामान्य निर्देश :

50. दर अनुबंध निविदाएं

50.1 ऊपर भाग I में दी गई जीआईटी के अलावा, निम्नलिखित जीआईटी दर अनुबंध निविदाओं के लिए लागू होगी:

i. बयाना राशि जमा (ईएमडी) लागू नहीं है।

ii. आवश्यकताओं की अनुसूची में, मात्रा की कोई प्रतिबद्धता का उल्लेख नहीं किया जाता है; बिना किसी प्रतिबद्धता के केवल प्रत्याशित आवश्यकता का उल्लेख किया है।

iii. भारिबैंनोमुप्रालि एक ही मद के लिए एक से अधिक दर अनुबंध समापन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

iv. जब तक अन्यथा एसआईटी में निर्दिष्ट नहीं है, एक दर अनुबंध की प्रवर्तनावधि सामान्य रूप से एक वर्ष के लिए होगी।

v. दर अनुबंध की प्रवर्तनावधि के दौरान, भारिबैंनोमुप्रालि उपयुक्त नोटिस भेज कर दर अनुबंध वापस ले सकती हैं। नोटिस की निर्धारित अवधि आम तौर पर तीस दिनों तक होती है।

vi. दर अनुबंध की प्रवर्तनावधि के दौरान, भारिबैंनोमुप्रालि के पास दर अनुबंध धारकों के साथ कीमत हेतु फिर से बातचीत करने का विकल्प होगा।

vii. दर अनुबंध की प्रवर्तनावधि के दौरान, आपात स्थिति के मामले में, भारिबैंनोमुप्रालि तदर्थ अनुबंध के माध्यम से वही आइटम एक नए आपूर्तिकर्ता से खरीद सकती हैं।

viii. सामान्यतया, दर अनुबंध में सुपुर्दगी की शर्तें **एफओआर** प्रेषण स्टेशन के लिए होती हैं।

ix. दर अनुबंध की शर्तों का पालन करते हुए अन्य सभी आवश्यक शर्तों के साथ माल की निश्चित मात्रा आपूर्ति शामिल करने वाले आपूर्ति आदेश, दर अनुबंध के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त करने हेतु नामित प्रत्यक्ष मांग अधिकारियों (डीडीओ) द्वारा जारी किए जाएंगे।

x. भारिबैंनोमुप्रालि दर अनुबंध की वैधता के अंतिम दिन तक आपूर्ति आदेश स्थापित करने के लिए हकदार है, और हालांकि ऐसे आपूर्ति आदेशों के लिए आपूर्तियाँ दर अनुबंध की वैधता अवधि से परे प्रभावित हो जाएगी, ऐसी सभी आपूर्तियाँ दर अनुबंध के नियमों व शर्तों द्वारा निर्देशित की जाएगी।

xi. दर अनुबंध नीचे वर्णित "खण्ड पतन" के द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

50.2 पतन खण्ड

यदि दर अनुबंध धारक इसकी कीमत कम कर देता है या बेचता है या यहां तक कि प्रवर्तनावधि के दौरान किसी भी व्यक्ति या संगठन को, दर अनुबंध की तरह ही बिक्री की शर्तों का पालन करते हुए, दर अनुबंध की कीमत की तुलना में कम कीमत पर, दर अनुबंधित माल बेचने की पेशकश करता है, तो दर अनुबंध की कीमत स्वचालित रूप से उस तारीख के बाद की सभी आपूर्तियों के लिए दर अनुबंध के तहत कम प्रभावी हो जाएगी और दर अनुबंध तदनुसार संशोधित किया जाएगा। पतन खंड का कोई उल्लंघन जीआईटी के खंड

44 के तहत एक गंभीर अपराध माना जाएगा, और यथा उचित कार्रवाई, खंड के प्रावधान के अनुसार की जाएगी।

50.3 निष्पादन सुरक्षा

निष्पादन सुरक्षा का मूल्य एसआईटी में निर्धारित किया जाएगा। हालांकि, निष्पादन सुरक्षा की मांग दर अनुबंध के खिलाफ बाद में जारी किए गए व्यक्तिगत आपूर्ति आदेशों में फिर से नहीं की जाएगी।

50.4 दर संविदा का नवीकरण

यदि कुछ विशेष कारणों से मौजूदा दर अनुबंधों की समाप्ति से पहले नए दर अनुबंधों का समापन करना संभव नहीं है, तो मौजूदा दर अनुबंध उन्हीं शर्तों एवं परिस्थितियों आदि के साथ, एक उपयुक्त अवधि के लिए दर अनुबंध धारकों की सहमति से विस्तारित किए जाऐंगे। कंपनियॉ, जो इस तरह के विस्तार के लिए सहमत नहीं होती हैं उनके दर अनुबंध, छोड़ दिए जाऐंगे। इस तरह के विस्तार की अवधि आम तौर पर तीन महीने से अधिक नहीं होगी।

51. पूर्वयोग्यता बोली

51.1 पूर्व योग्यता बोली उन योग्य बोलीदाताओं के लघुसूचीयन के लिए है जो एसआईटी में या एसबीडी की धारा IX में निर्धारित पूर्व योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं - एसबीडी की धारा VI "आवश्यकताओं की सूची" में सूचीबद्ध वस्तुओं या सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए - "योग्यता मानदंड"। लघु सूचीबद्ध बोलीदाताओं को एसआईटी में निर्धारित शर्तों के अनुसार उनकी योग्यता और लघुसूचीयन के बारे में सूचित किया जाएगा। जब तक अन्यथा एसआईटी में निर्धारित नहीं किया गया है, पीक्यूबी लघुसूचीयन केवल अगली अधिप्राप्ति निविदा तक वैध होगी। आगे अन्य शर्तें एसआईटी में सविस्तार दी जाएगी।

51.2 यदि एसआईटी में निर्धारित किया गया है, केवल इन लघु सूचीबद्ध योग्य बोलीदाताओं को ही आवश्यकताओं की खरीद में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अन्यथा एसआईटी भी संकेत दे सकता है कि एक अलग पीक्यूबी निविदा जारी करने की बजाय, यह अधिप्राप्ति निविदा के साथ, एक तीन बोली निविदा के रूप में जोड़ा जा सकता है। प्रारंभ में पीक्यूबी युक्त पहला पैकेट खोला जाएगा और मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद बाकी बची निविदाएँ दो बोली प्रणाली के रूप में केवल उन बोलीदाताओं जो पीक्यूबी में सफल हुए हैं, के लिए नियंत्रित की जाएगी।

52. निविदाएं जिनमें नमूने शामिल हो

52.1 आम तौर पर मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव के साथ कोई नमूना नहीं मँगवाया जाएगा।

52.2 क्रेता के नमूने : यदि एसआईटी में संकेत दिया गया है, एक क्रेता के नमूने बोलीदाताओं के अवलोकन के लिए विनिर्देशों के अतिरिक्त आवश्यक विशेषताओं को इंगित करने के लिए प्रदर्शित किए जा सकते है। परिरक्षक का नाम और पदनाम, स्थान, दिनांक और क्रेता के नमूने के निरीक्षण के समय को एसआईटी में दर्शाया जाएगा। एसबीडी की धारा VII में सूचीबद्ध विनिर्देशों - "तकनीकी विनिर्देश" को पूरा करने के अलावा अनुबंध में आपूर्ति हेतु संकेत की गई आवश्यक विशेषताओं, जिसके लिए क्रेता के नमूने प्रदर्शित किए गए थे, पूरा करना होगा। अनुबंध के पुरस्कार के समय इस उद्देश्य के लिए उसे एक मोहरबंद क्रेता का नमूना जारी किया जाएगा।

52.3 पूर्व उत्पादन नमूने : यदि एसआईटी में निर्धारित किया गया है, सफल ठेकेदार को निरीक्षण अधिकारी/या अनुबंध में उल्लेख किए गए नामित प्राधिकारी के समक्ष उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर एक पूर्व उत्पादन नमूना (ने) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। यदि ठेकेदार ऐसा करने में असमर्थ होता है, तो उसे विलंब के कारणों को बताते हुए निविदा की स्वीकृति जारी करने वाले कार्यालय को तुरंत समय विस्तारण हेतु आवेदन करना चाहिए। यदि क्रेता संतुष्ट हो जाता हैं कि समय विस्तारण हेतु एक उचित कारण मौजूद है, तो अनुबंध में निर्धारित की गई सुपुर्दगी की अवधि में परिवर्तन के साथ या बिना और इस तरह की स्थितियों के रूप में जैसा कि वह उचित समझे, वह इस तरह के अतिरिक्त समय की अनुमति दे सकता है जैसा कि वह जायज समझता है (और उसका निर्णय अंतिम होगा)। निविदा की स्वीकृति में निर्धारित तिथि के अनुसार पूर्व उत्पादन नमूना देने के लिए ठेकेदार की विफलता या किसी अन्य तिथि जिस पर क्रेता द्वारा उपरोक्त के रूप में समय बढ़ाया जा सकता है, या नमूने की अस्वीकृति की स्थिति में, क्रेता अनुबंध को रद्द करने का हकदार होगा और, यदि ऐसा वांछित है तो, खरीद या माल की खरीद के लिए प्राधिकृत करना (जब तक कि अन्यथा एसआईटी में निर्दिष्ट नहीं है) ठेकेदार की कीमत और जोखिम पर होगा। ऐसी स्थिति में, सुरक्षा आइटम के मामले में जहां अत्यावश्यकता ऐसी देरी की वजह से विकसित होती है, भारिबैंनोमुप्रालि इस 'जोखिम और लागत" निविदा के खिलाफ, मौजूदा पूर्व योग्यता और सुरक्षा मंजूरी दी गई फर्मों से एक वर्ष से कम की आवश्यकता की अधिप्राप्ति करने के लिए अपने अधिकार सुरक्षित रखती है। थोक उत्पादन और आपूर्ति की अनुमति तभी दी जाएगी जब इसके नमूने (ओं) एसबीडी में निर्धारित धारा VIII में दिए गए परीक्षण "गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यकताएँ" पारित कर लेते हैं।

52.4 नमूनों का परीक्षण: - परीक्षण, प्रक्रियाएँ और नमूनों के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएँ एसबीडी की धारा VIII के "गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यकताएँ" में विस्तृत रूप से दी जाएगी।

52.5 वैधता/लम्बे समय तक जांच-परख : यदि एसआईटी में या एसबीडी की धारा VIII के "गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यकताएँ" में निर्दिष्ट किया गया है, पूर्व उत्पादन नमूनों को सत्यापन या विस्तारित जांच-परख से गुजरना होगा इससे पहले कि उनका प्रदर्शन संतोषजनक घोषित किया जा सकता है।

52.6 पैरामीटर सेटिंग्स और सत्यापन परीक्षण की अवधि का एसबीडी की धारा VIII के "गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यकताएँ" में संकेत किया जाएगा। यह सत्यापन परीक्षणों के अंत के अंकन की अवधि या घटना को भी नियत करेगी। यह भी उसमें संकेत दिया जाएगा कि क्या थोक उत्पादन शुरू करने के लिए अनुमति हेतु पूर्ण रूप से सत्यापित होने तक इंतजार करना होगा या इसे समानांतर में किया जा सकता हैं।

53. रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) निविदाएँ :

53.1 ईओआई निविदाएँ लघु फिस्टिंग फर्मों के लिए जारी की जाती हैं जो इच्छुक और के लिए योग्य हैं: -

i. विशेष स्टोर या स्टोर की कुछ श्रेणियों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का पंजीकरण।
ii. नए आइटम का विकास या आयातित स्टोर का स्वदेशीकरण

53.2 आवश्यक योग्यता/पात्रता मानदंड और इस तरह के डेटा को जमा करने का प्रारूप एसबीडी की धारा IX -"योग्यता मानदंड" में संकेत किया जाएगा।

53.3 आवश्यकताओं के उद्देश्य और व्यापकता एसबीडी की धारा VI - "आवश्यकताओं की सूची" में संकेत किया जाएगा। वार्षिक आवश्यकता और अपने भविष्य की आवश्यकताओं हेतु सांकेतिक मात्रा का भी संकेत किया जाएगा।

53.4 नए आइटम के विकास के लिए या स्वदेशीकरण के लिए ईओआई के मामले में, संभावित कंपनियों को एसआईटी में वर्णित जगह, तारीख और समय पर स्थापित करने के स्थान पर मशीन/आइटम का निरीक्षण करने का अवसर दिया जाएगा।

53.5 यदि ईओआई विक्रेताओं के पंजीकरण के लिए है, पंजीकरण शुल्क और पंजीकरण की वैधता अवधि एसआईटी में विस्तृत की जाएगी।

53.6 आपूर्तिकर्ताओं की संक्षिप्त सूची: आपूर्तिकर्ताओं का लघुसूचीयन के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ माल की आपूर्ति के लिए उनकी वित्तीय ताकत, तकनीकी क्षमताओं आदि, इसी तरह के संदर्भ में उनके पिछले अनुभव के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक आपूर्तिकर्ता को एसबीडी की धारा IX - "योग्यता मानदंड" में उल्लेख किए गए प्रत्येक मापदंड हेतु भारांक के आधार पर स्कोर दिए जाएंगे।

53.7 यदि एसआईटी में निर्धारित किया गया है, फर्म की क्षमता और सामर्थ्यता का मूल्यांकन एक मनोनीत समिति द्वारा या भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा नामित किसी तीसरी पार्टी द्वारा किया जा सकता है।

53.8 सभी आपूर्तिकर्ता जो न्यूनतम आवश्यक अंक (सामान्य रूप से 50% जब तक अन्यथा धारा IX में निर्दिष्ट नहीं है) अर्जित करते हैं, लघु सूचीबद्ध किए जाएंगे। धारा IX प्रत्येक वैकल्पिक मानदंड के लिए न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता को निर्दिष्ट कर सकता है अर्थात न्यूनतम वर्षों का अनुभव, निष्पादित कार्यों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम कारोबार आदि। ऐसी परिस्थितियों में, सभी आपूर्तिकर्ताओं जो न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करते हैं, जैसा कि निर्दिष्ट है, लघु सूचीबद्ध किए जाएंगे।

53.9 विक्रेताओं के पंजीकरण के लिए ईओआई के मामले में, लघु सूचीबद्ध निविदाकर्ताओं को पंजीकरण पत्र जारी किया जाएगा।

53.10 विकास/स्वदेशीकरण के लिए ईओआई के मामले में, इन लघु सूचीबद्ध निविदाकर्ताओं को ही बाद के विकास/स्वदेशीकरण निविदाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

54. स्क्रैप के निपटान के लिए निविदाएं

54.1 परिचय: यह निविदा विभिन्न स्थानों पर पड़ी स्क्रैप सामग्री की बिक्री के लिए है। बिक्री के लिए स्क्रैप का विवरण उसके विवरण, वर्तमान स्थिति, लॉट आकार और उसके स्थान सहित धारा VI - "आवश्यकताओं की सूची" में दिया जाएगा।

54.2 "जैसा कि, जहाँ कि, जो कुछ भी," इस बिक्री के आधार:

54.2.1 स्क्रैप की यह बिक्री सख्ती से "जैसा कि, जहाँ कि, जो कुछ भी हो," के आधार पर है। निविदाकर्ता को निविदा करने से पहले स्टोर की गुणवत्ता, मात्रा, प्रकृति आदि के संबंध में सभी मामलों पर खुद को संतुष्ट करना चाहिए; क्योंकि सुरक्षित अनुबंध के निष्कर्ष निकाले जाने के बाद कोई शिकायत या किसी भी प्रकार के प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाएगा।

54.2.2 बिक्री के ब्यौरे में लॉट का विवरण उसकी पहचान के प्रयोजन के लिए दिया गया है और इस तरह के विवरणों का प्रयोग, विवरण द्वारा बिक्री कर सकने के लिए बिक्री गठित नहीं करेंगे और कोई बिक्री किसी भी लॉट में किसी दोष, विचलन या परिवर्तन के कारण या कोई लॉट वास्तविक रूप में वर्णित नहीं किए जाने के कारण अमान्य नहीं होगा और क्रेता ऐसी गलती, विवरण में त्रुटि, वजन या ऐसे के कारण क्षति या मुआवजे का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

54.2.3 निविदा नोटिस में या तो वजन या माप द्वारा वर्णित स्क्रैप की सभी मात्राएँ केवल अनुमानित मात्राएँ हैं और क्या मात्राएँ वास्तविक वजन या माप के आधार पर होनी चाहिए, जैसा भी मामला हो और जब भी इस आधार पर सुपुर्द किए गए है, विज्ञापित या परियोजित मात्रा की तुलना में कम होती है, तो भारिबैंनोमुप्रालि किसी भी परिस्थिति में ऐसी किसी भी कमी को सही करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

54.2.4 भारिबैंनोमुप्रालि एक सप्ताह का नोटिस देकर किसी भी वस्तु या वस्तुओं की मात्रा कम या ज्यादा करने या किसी भी स्तर पर अनुबंध समाप्त कर सकने के अपने अधिकार सुरक्षित रखती है। अनुबंध के इस तरह के समापन या मात्रा में भिन्नता के कारण भारिबैंनोमुप्रालि के खिलाफ कोई दावा, जो भी हो, अपील नहीं किया जा सकेगा।

54.2.5 भारिबैंनोमुप्रालि कुछ वस्तुओं को हटाने का अधिकार सुरक्षित रखती है जिनको वह महसूस करती है कि ये बिक्री के लिए नहीं थी, लेकिन अनजाने में स्क्रैप सामग्री का, परिसर में स्थित बिक्री के लिए पेशकश किए गए लॉट का हिस्सा बन गई, या बेचने के लिए पेश की गई सामग्री के साथ जोड़ दी गई या संलग्न कर ली गई थी।

54.2.6 निविदाकर्ता जो खरीदने और निविदा में भाग लेने के इच्छुक है, उनको संबंधित शेयर धारकों से अनुमति लेने के बाद, प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले साइट का दौरा करना चाहिए। निविदाकर्ता जिन्होंने

प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं यह समझा जाएगा कि उन्होंने साइट का दौरा किया है और खुद को बिक्री के लिए रखी सामग्री के साथ सभी पहलुओं के संबंध में अच्छी तरह से परिचित कर लिया है।

54.2.7 प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले किसी भी व्यक्ति के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने खुद को निविदा बिक्री की शर्तों और नियमों के साथ-साथ बेची जाने वाली सामग्री की हालत और स्थान से पूरी तरह से परिचित कर लिया है और इसके तहत कथित सभी शर्तों और नियमों पर सहमति व्यक्त किया हुआ समझा जाएगा।

54.3 पेशकश की प्रस्तुति :

54.3.1 जब तक एसआईटी में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, निविदाएं खोलने की तिथि से 90 दिनों (नब्बे दिन) की न्यूनतम अवधि के लिए स्वीकृति के लिए निविदाएं मान्य होगी। निविदाकर्ताओं की पेशकश अप्रतिसंहरणीय होगी।

54.3.2 भारिबैंनोमुप्रालि कोई भी कारण बताए बिना किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए अपने अधिकार सुरक्षित रखती है।

54.3.3 जब तक अन्यथा एसआईटी में उल्लेख नहीं किया गया है, इस तरह की निविदाओं में ईएमडी की राशि निविदा के मूल्य की 5% होगी। यदि निविदाकर्ता अपने प्रस्ताव की वैधता अवधि के भीतर किसी भी संबंध में एकतरफा रूप से संशोधन वापस लेता है, हानि पहुंचाता है, या अपने प्रस्ताव से भ्रष्ट होता है तो बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

54.3.4 यदि निविदाकर्ता के प्रस्ताव भारिबैंनोमुप्रालि द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई बयाना राशि उसे वापस की जाएगी। इस तरह के धन वापसी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा बयाना राशि भारिबैंनोमुप्रालि के पास रहेगी, जब तक कि सुरक्षा जमा (एसडी) राशि का भुगतान, जैसा कि संबंधित खंड में निर्धारित किया गया है, नहीं किया जाता है। यह भारिबैंनोमुप्रालि के विवेक पर कुल एसडी राशि के हिस्से के रूप में समायोजित किया जा सकता है।

54.3.5 वाणिज्यिक कर/सीमा कर, चुंगी, निगम कर या कोई अन्य कर/शुल्क आदि जो कुछ भी प्रभाव में है भारिबैंनोमुप्रालि के लागू नियमों के अनुसार क्रेता द्वारा अतिरिक्त रूप से देय होंगे। वर्तमान और वैध पैन और बिक्री/वाणिज्यिक कर पंजीकरण संख्या जहां लागू हो, निविदाकर्ता की बोली में प्रदान किया जाना चाहिए।

54.3.6 स्क्रैप सामग्री के परिवहन और उठाने के लिए मानव शक्ति, क्रेन, परिवहन वाहन और ट्रॉली आदि सहित, सभी व्यवस्थाएँ, यदि आवश्यक है तो केवल संबंधित खरीददार द्वारा की जाएगी, और भारिबैंनोमुप्रालि इस तरह की कोई भी व्यवस्था प्रदान नहीं करेगी या प्रदान करने में सहायता नहीं करेगी और क्रेता द्वारा उद्धृत दर में इस तरह के और सभी प्रासंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए।

54.3.7 पंजीकृत डीलर जिन्हे बिक्री कर के भुगतान से छूट दी गई है संबंधित प्राधिकरण से अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए और सभी मायनों में परिपूर्ण विधिवत रूप से भरा हुआ आवश्यक प्रपत्र, फर्म के भागीदार या ऐसा करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित, सुपुर्दगी आदेश प्राप्त करने से पहले भारिबैंनोमुप्रालि या उसके प्रतिनिधियों को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

54.3.8 स्क्रैप के निपटान के लिए निविदाओं का मूल्यांकन उसी आधार पर किया जाएगा जैसे कि माल की खरीद के लिए निविदाओं का किया जाता है, सिवाय इसके कि बोलीदाताओं का चयन उच्चतम उत्तरदायी (एच आई) बोलीदाता के आधार पर किया जाएगा। यदि उच्चतम बोलीदाता द्वारा पूर्ण मात्रा उठाए जाने की पेशकश नहीं की जाती है, तो समानांतर अनुबंध पर रखा जाएगा।

54.4 अनुबंध की स्वीकृति और प्रदान करने हेतु अधिसूचना :

54.4.1 सफल निविदाकर्ता, इस के साथ अब के बाद खरीददार के रूप में जाना जाएगा, बिक्री अनुबंध के जारी होने के 5 कार्य दिवस (बिक्री अनुबंध के जारी करने की तारीख को छोड़कर) के भीतर सुरक्षा जमा (एसडी) @ अनुबंध के कुल बिक्री मूल्य का 10% प्रस्तुत करना होगा। सुरक्षा जमा (एसडी) बैंक ड्राफ्ट/वेतन आदेश के रूप में, किसी भी राष्ट्रीयकृत या मान्यता प्राप्त बैंक पर आहरित, उसी अधिकारी के पक्ष में जमा किया जाएगा, जैसा कि ईएमडी के संबंध में एनआईटी के खंड 3 में उल्लिखित किया गया है।

54.4.2 क्रेता को शेष राशि का भुगतान, स्वीकृति की अधिसूचना की तारीख से 20 दिनों के भीतर, जो कि भारिबैंनोमुप्रालि या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जारी की जाएगी, किसी भी राष्ट्रीयकृत या मान्यता प्राप्त बैंक पर आहरित बैंक ड्राफ्ट के रूप में उसी अधिकारी के पक्ष में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भुगतान करना होगा। किसी भी मामले में, शेष भुगतान जमा करने के लिए विफल होने पर, भारिबैंनोमुप्रालि अनुबंध समाप्त करने और सुरक्षा जमा जब्त करने के अपने अधिकार सुरक्षित रखती है।

54.5 सुरक्षा और संवेदनशील मशीनरी और आइटम के लिए निपटान निविदाएं :

54.5.1 गैर दुरूपयोग घोषणा: बोलीदाता को एक वचन देना आवश्यक होगा कि वह या उसके कर्मचारी या कानूनी वारिस यह सुनिश्चित करेंगे कि भारिबैंनोमुप्रालि से खरीदी गई ऐसी वस्तुएँ, केवल स्क्रैप वसूली के लिए उपयोग की जाएगी और किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए दुरुपयोग नहीं की जाएगी। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस वचन को सम्मानित किया जाता है और यह, आगे भी रेखा में नीचे के स्क्रैप प्रोसेसरों/पुनर्खरीददारों से हस्ताक्षर करवाया गया है। यदि उनकी फर्म का मालिक बदल जाता है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि नए मालिकों का सम्मान और इस वचन पर दस्तखत करवाना उसकी जिम्मेदारी होगी।

54.5.2 यदि एसआईटी में निर्धारित किया गया है तो सुपुर्दगी केवल खंडित/कट-अप हालत में दी जाएगी।

55. विकास और स्वदेशीकरण निविदाएं :

55.1 पहले से ही विकसित कंपनियां या कंपनियां जिनको पहले से ही आइटम के लिए विकास आदेश प्राप्त हुआ है (जो भी हो परिणाम के साथ) इस तरह की निविदाओं हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

55.2 यदि एसआईटी में निर्दिष्ट है तो अनुबंध दस्तावेज मुफ्त रूप से जारी किए जा सकते है, और बयाना जमा राशि और सुरक्षा जमा राशि की प्रस्तुति हेतु ढील दी जा सकती है।

55.3 यदि एसआईटी में निर्दिष्ट है, तो निविदाकर्ता निम्न के लिए अलग से उद्धृत कर सकते हैं

क. विकास/स्वदेशीकरण की आपूर्ति में आइटम के थोक आपूर्ति के लिए मूल्य/दर और

ख. अलग से, पूर्व उत्पादन नमूने की लागत सहित विकास की लागत। फर्मों को निविदा में निर्दिष्ट नमूनों की संख्या के लिए ही भुगतान किया जाएगा। यदि उसे पहले के नमूनों की विफलता की वजह से और अधिक नमूने निर्माण करने पड़ रहे है, तो इसके लिए उसे भुगतान नहीं किया जाएगा।

55.4 एल 1 का निर्धारण विकास लागत की कुल लागत के संदर्भ सहित (प्रोटोटाइप की लागत सहित) आइटम की उद्धृत दर तथा अगले तीन वर्षों में आवश्यक होने वाली काल्पनिक कुल लागत के, जहाँ भी लागू हो, के आधार पर किया जाएगा।

55.5 विकास के अनुबंध, जहाँ तक संभव हो, दो या दो से अधिक ठेकेदारों के साथ समानांतर रूप से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

55.6 समानांतर विकास के मामलों में, विभिन्न विकास एजेंसियों/कंपनियों के बीच आपूर्ति आदेश के बंटवारे का अनुपात, उससे संबंधित मापदंड सहित, एसआईटी में निर्दिष्ट किया जाएगा।

55.7 हालाकिं, यदि आवश्यकता अल्प है और जटिल प्रौद्योगिकी शामिल है, या उपकरण/पुर्जों की मात्रा यदि दो विक्रेताओं के बीच वितरण हेतु कम, सीमित/छोटी/अलाभकर है तो संपूर्ण आदेश एल 1 विक्रेता पर रखा जा सकता है।

55.8 यदि एसआईटी में निर्दिष्ट है, तो आपूर्तिकर्ताओं के लिए अग्रिम और मध्यम भुगतान की अनुमति दी जा सकती है।

55.9 विकास प्रतिबद्धता के लिए मात्रा

अगले तीन वर्षों में, नव विकसित फर्म के ±5% सहनशीलता के साथ विकास आदेशों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में सक्षम होने के बाद, वार्षिक मात्रा की आवश्यकता का 20% नव विकसित कंपनियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है।

55.10 विकास प्रतिबद्धता की अवधि

एक नव विकसित फर्म द्वारा प्रारंभिक विकास आदेश को पूरा करने के बाद केवल तीन वर्ष तक यह सुविधा दी जाएगी। हालांकि यह सुविधा 20% से अधिक की मात्रा हेतु फर्म के लिए पहले से ही स्थापित कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा एक बंधन नहीं है, बशर्ते कि उनकी कीमतें और निष्पादन ऐसी वारंटी प्रदान करती है। इसके बाद वे उन्हें पहले से ही विकसित अन्य कंपनियों के साथ समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करनी होगी।

****